फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय

संख्या

अशोक बनाम गणपत
16/12/2014

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23/12/14	वा.प्र.उप. अभार्थी से. 5 ता 7 कि Eg. Bd. स्त्रीओं के 1 माह से अधिक का समय हो चुका है बन्दी की ओर से कोई उप० नहीं है अतः वादी तामिल जारी जाकर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल के लायक मानी है बहस T.L. सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर बहस मनन किया गया। प्रकरण में पूर्व में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश के ता-फैसला मूल वाद कायम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ताकि पक्षकारान के मध्य वाद बहुलता न बढ़े। अतः उक्त आदेश दिनांक 09/01/14 के ता-फैसला मूल वाद कायम किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

अशोक स०